

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 88 /2020

दिनांक : 08 .07.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./81/2020 दिनांक 30.06.2020 के द्वारा श्रीमती बृजमाधुरी शर्मा (RJ0362), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली को दिनांक 29.06.2020 से 31.07.2020 तक 33 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 27.06.2020 से 28.06.2020 एवं 01.08.2020 से 03.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 29.06.2020 से 30.06.2020 तक 02 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से
08/07/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/68/2000/ 2904

दिनांक 08.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 1360 दिनांक 02.07.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती बृजमाधुरी शर्मा (RJ0362), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली।
5. डॉ. रेन् श्रीवास्तव (RJ0480), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक. आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार